पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ0पी0 चन्देलिया

प्रकरण सं0 : 95/2024

उनवान :

1. विनोद कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह गिल पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. सरोजदेवी पुत्री महेन्दसिंह पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी घेऊ हाल गांव जोगीवाला प्रथम तहसील सिरसा हरियाणा।
3. सुमनदेवी पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी किशन कुमार जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा हाल गांव जोगीवाला प्रथम तहसील सिरसा हरियाणा।
4. सुनिता पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी विक्रम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा हाल गांव महराना तहसील भादरा।
5. पंजाब नेशनल बैंक जरिए शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. विमला देवी पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद सिंगाठिया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री वेदप्रकाश की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 55/39 के ख0सं0 668 की 22.371 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र सिंह गिल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह गिल का नाम कलमजन कर वादी विनोद कुमार को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 7 द्वारा अपने हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.16 16:21:23 IST
Reason: SelfAttested

12-08-24

सहायक कलक्टर
(ओमप्रकाश चन्देलिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner